पत्रांक–म०भो०/को०–AS -08/2018..............

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः–**मध्याह्न भोजन योजना में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को एकमुश्त 4,00,000/–(चार लाख रू०) का अनुग्रह अनुदान राशि देने के संबंध में।**

मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं का छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं उनके पोषण के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार राज्य के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, मदरसा/मकतब/संस्कृत विद्यालय/राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना अन्तर्गत संचालित विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों इत्यादि में पढ़ने वाले वर्ग–I से वर्ग–VIII के सभी बच्चों को गरमा–गरम पका–पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उक्त कार्य का सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशालय/समिति का गठन किया गया है, जिसके तहत संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मी नियोजित हैं।

2. दिनांक 21.02.2018 को प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना की कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका–13 में लिये गये निर्णय के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोईया–सह–सहायक की मृत्यु होने के उपरांत चार लाख रू० अनुग्रह अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। उसी आधार पर मध्याह्न भोजन योजना में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों का सेवाकाल में मृत्यु होने के उपरांत 4,00,000/–(चार लाख रू०) अनुग्रह अनुदान देने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्णय लिया गया है।

3. मध्याह्न भोजन योजना में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की कुल संख्या 755 है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार हैः–

राज्य स्तर		जिला स्तर		प्रखंड स्तर	
पदनाम	स्वीकृत बल	पदनाम	स्वीकृत बल	पदनाम	स्वीकृत बल
डाटा ऑफिसर– सह–सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	1	जिला कार्यक्रम प्रबंधक /जिला समन्वयक	38	प्रखंड साधन सेवी	534
लेखा पदाधिकारी	1	जिला लेखापाल	38	नगर प्रखंड साधन सेवी	12
पोषाहार विशेषज्ञ	1	जिला साधन सेवी	76		
सहायक कार्यक्रम समन्वयक	4	कम्प्यूटर ऑपरेटर बेल्ट्रॉन /कार्यपालक सहायक	38		
लेखापाल (निदेशालय)	1				
कार्यालय सहायक	4				
कम्प्यूटर ऑपरेटर	3				
कम्प्यूटर ऑपरेटर (बेल्ट्रॉन)	2				
आदेशपाल	2				
कुल	**19**		**190**		**546**

उपरोक्त वर्णित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सेवा काल में मृत्यु होने के उपरांत 4,00,000/- (चार लाख रू०) अनुग्रह अनुदान उनके आश्रित को दिया जाएगा।

4. उपर्युक्त से संबंधित स्वीकृति दिनांक 11.07.2018 को मद संख्या-13 के रूप में मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्राप्त हो चुका है। संचिका संख्या म०भो०/को०-AS-08/2018 के पृष्ठ संख्या 13/प० पर स्वीकृति के संबंधित आदेश है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 100 प्रतिलिपि शिक्षा विभाग (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) को प्रेषित की जाय।

ह०/-
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: म०भो०/को०- AS-08/2018.......................... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक: म०भो०/को०- AS-08/2018 1292 पटना, दिनांक 19/07/2018

प्रतिलिपि : निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा-5 सहायक/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी), शिक्षा विभाग/लेखापाल, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/7/18
सरकार के उप सचिव,